राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1533/2013/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन,भिवाडी — अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सुमेट को अलाऐज प्रा.लि.
भिवडी — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री क्रान्ति मेहता
अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक 05.05.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 162/114/आरवैट/2010–11/11–12/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 29.01.22013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है,जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,भिवाडी (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 25 व 61 के अन्तर्गत कर रू. 18,514/– एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रू. 37,028/– आरोपित करते हुए कुल रू. 55,542/–की मांग सृजित की गई है, को अपास्त किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय,प्रतिकरापवंचन, भिवाडी द्वारा दिनांक 28.05.2010 को प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा व्यवसाय स्थल पर तैयार माल लीड इनगट्स की भौतिक गणना कर उसका प्रत्यर्थी व्यवहारी की लेखा पुस्तकों से मिलान किये जाने पर 3248 कि.ग्रा. लीड इनगट्स लेखा पुस्तकों में घोषित स्टॉक से कम पाये जाने का अभियोग बनाया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को स्थानानंतरित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने लेखा पुस्तकों में घोषित स्टॉक से माल कम पाया जाने के कारण अधिनियम की धारा 25 एवं 61 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में उत्तर प्रस्तुत कर बताया गया कि वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर उपलब्ध लीड इनगट्स 1031/– पीसेज् का प्रति नग के हिसाब से तौल कराकर वजन नहीं लिया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त जवाब को संतोषप्रद नहीं मानते हुये सर्वेक्षण के समय लेखा

पुस्तकों में घोषित स्टॉक से कम पाये गये 3248 कि.ग्रा. लीड इनगट्स की कीमत रुपये 3,70,272/– की उचन्त बिक्री मानते हुये इस पर 5% से कर रुपये 18,514/– एवं करापवंचन किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 61 के तहत कर की दुगनी शास्ति रुपये 37,028/– आरोपित करते हुये कुल रुपये 55542/– की मांग सृजित कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.09.2010 पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने अपील के गुणावगुणों पर विचार कर आदेश दिनांक 29.01.2013 पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त किया है, जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधि एवं प्रकरण के तथ्यों के विरुद्ध होने का कथन कर उसे अपास्त करने का निवेदन किया। उनका कथन है कि सर्वेक्षण के समय लेखा पुस्तकों में घोषित स्टॉक से कम माल पाये जाने के कारण प्रत्यर्थी व्यवहारी का करापवंचन का दोषी मनोभाव प्रमाणित होने के बावजूद अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त किया गया है, जो विधिक दृष्टि से अनुचित है। उन्होनें कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुये प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सर्वेक्षण के समय व्यवसाय स्थल पर उपलब्ध लीड इनगट्स का स्टॉक अनुमान के आधार पर लिया गया है। उनका कथन है कि व्यवसाय स्थल पर उपलब्ध 1031 पीसेज लीड इनगट्स का प्रत्येक नग का तौल किये बिना ही अनुमान के आधार पर लिये गये स्टॉक के वजन में लेखा पुस्तकों में घोषित स्टॉक से कमी/वृद्धि का अंतर आना स्वभाविक है। उनका कथन है कि यदि सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा लीड इनगट्स के स्टॉक का वजन तौल कर लिया जाता तो लिये गये स्टॉक के वजन एवं लेखा पुस्तकों में घोषित वजन में कोई अंतर नहीं आता। उनका यह भी कथन है कि वक्त सर्वेक्षण भौतिक सत्यापन के समय 2 स्वतंत्र गवाह नहीं थे इसलिये भौतिक सत्यापन फर्द जो कि पत्रावली के पृष्ठ 6 पर उपलब्ध है को उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भौतिक सत्यापन के समय नियम 51 की पालना के अभाव में अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होनें अपीलीय स्तर पर प्रौद्वरित न्यायिक दृष्टांतों की पुनरावृति करते हुये अपीलीय अधिकारी के आदेश को उचित एवं विधिक होने का कथन कर विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस सुनी गई, उपलब्ध रेकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों से ज्ञात होता है कि वक्त सर्वेक्षण लेखा पुस्तकों में घोषित स्टॉक से 3248 कि.ग्रा. लीड इनगट्स कम पाये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने 5% की दर से कर एवं कर की दुगनी शास्ति अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित करते हुये कुल रुपये 55,542/– की मांग सृजित की है, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि सर्वेक्षण श्री मुकेश कुमार शर्मा की उपस्थिति में किया गया, जो प्रत्यर्थी व्यवहारी की फर्म में न तो बिजनेस मैनेजर/ फर्म डायरेक्टर है एवं न ही उसका प्रत्यर्थी व्यवहारी की फर्म से कोई संबंध है। वह एक मात्र एक्साईज सलाहकार है जो अपीलार्थी कम्पनी के एक्साईज रेकार्ड की पूर्ति करने आता है। प्रकरण के तथ्यों से यह भी ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के फर्म के डायरेक्टर श्री प्रेम भंडारी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ पेश किये गये शपथ पत्र का परीक्षण कर उसे गलत प्रमाणित नहीं किया गया। पत्रावली के पृष्ठ 6 पर उपलब्ध भौतिक सत्यापन फर्द के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिन गवाहों की उपस्थिति में सर्वेक्षण किया गया है उनमें से एक जवाहर लाल फर्म का कार्मिक है एवं दूसरा गवाह रामचंद्र अंकित है जिसके न तो पिता का नाम लिखा गया है न हीं उसका पता अंकित किया गया है जिससे उक्त गवाहों को स्वतंत्र गवाह नहीं माना जा सकता, जिससे नियम 51(b)(c) की पालना नहीं होती है। नियम 51(b)(c) को उद्धरित किया जाना समीचीन :–

"(b)Before making a search, such officer shall call upon two witnesses to attend and witness the search and may issue an order in writing to them to do so.
(c) The dealer or his business manager or any other person performing any activity relating to the business at the business place, building or other premises searched, shall be deemed to be the person in-charge of such premises and shall also be permitted to witness the search. "

रिकार्ड से यह भी ज्ञात होता है कि पत्रावली क पृष्ठ 6 पर उपलब्ध भौतिक सत्यापन फर्द में अंकित लीड इनगट्स के पीसेज को 22 व 23 किलोग्राम का मानकर वजन अनुमानित किया गया है जबकि वक्त सर्वेक्षण पाये गये लीड इनगट्स का तौल कराकर वजन नहीं लिया गया है, जिससे प्रत्यर्थी व्यवहारी के इस कथन का बल मिलता है कि यदि माल का वास्तविक वजन तौल कर लिया जाता है तो घोषित स्टॉक से कम माल नहीं मिलता है। उक्त विवेचन स्पष्ट है कि सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा माल का वजन अनुमान के आधार पर लिया गया है,जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला दिया गया है, जिनको उद्धरित किया जाना समीचीन है :–

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न माननीय उच्च न्यायालय ने मैसर्स डायमण्ड मार्केटिंग एजेन्सीज बनाम ACTO प्रतिकरापवंचन वॉल्यूम 19(6) TUD 256 वॉल्यूम प्रथम तथा SB STR NO. 79/2010 ACTO बनाम के.एम. फोटो निर्णय दिनांक 27.03.2015 तथा SB STR No. 537/11 CTO प्रतिकरापवंचन बनाम कृष्णा ऑयल इण्डस्ट्रीज में दिये गये निर्णय दिनांक 26.03.2015 द्वारा निर्णित किया है की RST Rule के नियम 50 की अनुपालना नहीं करने पर सर्वे की सारी कार्यवाई अविधिक हो जाती है। दो स्वतत्रं गवाहों की अनुपस्थिति में किया गया सर्वेक्षण एवं भौतिक सत्यापन अविधिक हो जाता है। माननीय राजस्थान टैक्स बोर्ड ने ACTO वार्ड–प्रथम वृत्त A जोधपुर बनाम गणेश एन्टरप्राईजेज जोधपुर 4 TUD 86 में यही अभिमत प्रकट किया है। इसी तरह से माननीय कर बोर्ड ने सिल्वर एण्ड आर्ट पैलेस जयपुर बनाम ACTO प्रतिकरापवंचन जयपुर 25 RTJ मैसर्स जैन जनरल स्टोर सीकर 10 TUD 166 में भी इसी प्रकार का निर्णय प्रदान किया गया है। अपीलाधीन आदेश में उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों में यही मत प्रतिपादित किया गया है कि वक्त सर्वेक्षण दो स्वतंत्र गवाहों होना आवश्यक है,जिसका इस प्रकरण में अभाव है।

अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों का समावेश करते हुए प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत एवं समग्र रूप से अपीलाधीन आदेश में विवेचन कर निष्कर्ष दिया है कि करापवचंन का दोषी मनोभाव को ठोस आधारों के सिद्ध बिना ही अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने इसीलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग को अपास्त किया है, जो प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में उचित प्रतीत होता है। फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुए विभाग की ओरसे प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य